

प्रेषक,

वी०के० शर्मा,
अवस्थापना एवम् औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

दिनांक : 28 मई, 2009

महोदय,

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा स्थापित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं एवं तत्क्रम में औद्योगीकरण के मार्ग में आने वाली कतिपय समस्याओं का त्वरित निस्तारण “एकल खड़की” प्रणाली के अंतर्गत कराये जाने हेतु राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1016/18-12-97 दिनांक : 20 अक्टूबर, 1997 के द्वारा किया गया। उद्योगों की समस्याओं को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संबन्धित विभाग के साथ इकाई के प्रवर्तकों की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक का आयोजन उद्योग बन्धु द्वारा शासनादेश संख्या-2644 भा.उ. /18-11-94 दिनांक : 24 जून, 1994 के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार जिन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न हो अथवा नीति विषयक मामलों को ही उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में उद्योगों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों यथा-चिकित्सालयों, मेडिकल व डेण्टल कालेजों, शिक्षण संस्थानों, कॉल सेन्ट्रो, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों, इंटरटेन्टमेंट सेन्टर्स इत्यादि तथा अवस्थापना संबंधी उपक्रमों यथा-यातायात एवं परिवहन, विद्युत ऊर्जा, दूरसंचार, जलापूर्ति, जल निकास, मल व अपशिष्ट का व्ययन, वाणिज्यिक संसाधन, औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान/मिनी औद्योगिक आस्थान, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, गैस पाइप लाइन इत्यादित में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मा. मंत्रिपरिषद के निर्णय से विस्तृत नीति बनायी गयी है।

औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-3087/77-6-07, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 के द्वारा प्रदेश में सेवा क्षेत्र तथा अवस्थापना संबंधी उपक्रमों के निवेशों को भी इन परियोजनाओं के मार्ग में आने वाली कतिपय समस्याओं का त्वरित निराकरण उपरोक्तानुसार राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति तथा त्रिपक्षीय वार्ता बैठकों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। ताकि प्रदेश में सेवा क्षेत्र एवं अवस्थापना संबंधी उपक्रमों की स्थापना तीव्र गति से करायी जा सके। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा क्षेत्र तथा अवस्थापना संबंधी उपक्रमों के निवेशों के संबंध में उद्योग बन्धु के स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता बैठक प्रत्येक माह अलग से आयोजित करायी जायेगी। इसी प्रकार उपरोक्त सेवा क्षेत्र तथा अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं की समस्याओं को जिला स्तर पर जिला उद्योग बन्धु तथा मंडल स्तर पर मंडलीय उद्योग बन्धु की बैठकों में प्रस्तुत कर निराकरण कराया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश संख्या-3087/77-6-07, दिनांक : 04 दिसम्बर, 2007 तथा जिला उद्योग बन्धु का शासनादेश संख्या-7280, दिनांक 28.02.1989 तथा मंडल स्तरीय उद्योग बन्धु का शासनादेश संख्या-2908, दिनांक 23.06.1990 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

वी0 के0 शर्मा

संख्या : 987(1)/77-6-09/13(एम)/09 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
4. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से

कैप्टन एस0के0 द्विवेदी
विशेष सचिव